an>

Title: Need to make provision for taking oath in the name of the Constitution by the witnesses/the accused and the petitioners in the courts of the country.

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ (उस्मानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में उठाने का आपने मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे देश में सभी लोग कहते हैं कि एकता, अखंडता, समानता है लेकिन इस ज़माने में धर्मवाद-अधर्मवाद, सहिष्णुता-असहिष्णुता पर बहस का माहौल बन गया है। मेरा कहना है कि हमारे देश में सभी न्यायालयों में, अदालतों में जो गवाह या फरियादी हैं, उनका साक्ष्य लेते समय उन्हें शपथ दिलाई जाती है जिसमें हिंदू को गीता की शपथ, मुस्लिम को कुरान और क्रिश्चियन को बाईबल की शपथ दिलाई जाती है। शपथ लेने की पूथा अंग्रेजों ने शुरू की थी लेकिन यह पूथा आज तक चल रही है। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट शिव सेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने बहुत बार और काफी समय पहले से कहा था कि इस देश में आजादी है, संविधान है तो न्यायालय में भी सभी को संविधान की शपथ दिलानी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी कहा है कि सबसे ऊपर हमारे देश का संविधान महत्वपूर्ण है। हमारा ग्रंथ हमारे घर की चौखट के अंदर हमारी जाति, धर्म, पूजा है लेकिन इस देश में हम पैदा हुए हैं इसलिए हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदू हैं। हिंदू यानी हमारी हिंदू संस्कृति है। हमें अपना संविधान हाथ में लेकर शपथ दिलानी चाहिए। मेरी मांग है कि जिस तरह से हमारे देश का हर नागरिक संविधान को सबसे ऊपर मानता है, इस देश में हमारी संसद ऐसा कुछ करे कि आगे चलकर न्यायालय में भी हमारे संविधान की शपथ लेते हुए बयान दिया जाए तो ही हमारे देश में एकता, अखंडता, समानता और बंधुता आएगी। मैं पुनः इस बात की मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri P.P. Chaudhary and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Prof. Ravindra Vishwanath Gaikwad.